संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / अना.अनु / एफ.19–46 / शा.मेडि–1 / 175 – भोपाल दिनांक 28 / 08 / 2018,

आदेश

डॉ0 शीनू सलूजा, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल,रानी दुर्गावति जिला जबलपुर, द्वारा सक्षम अधिकारी, की अनुमति के बिना दिनाक 25.05.16 से कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की जानकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर के पत्र कमांक / विज्ञप्त / 2083, दिनांक 09.03.18 द्वारा सचिव, स्वास्थ्य को प्राप्त हुई।

शासन / विभाग के ज्ञाप कमांक 19–45 / 17 / मेडि–1, दिनांक 26.03.18, द्वारा डॉ0 शीनू सलूजा को आरोप–पत्र जारी किया गया। डॉ0 सलूजा ने अपना प्रतिवाद उत्तर समक्ष में दिनांक 11.04.18 को सचिव,स्वास्थ्य को प्रस्तुत किया। डॉ0 सलूजा ने स्वीकर किया कि वे ओपन केटेगरी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए आवेदन दिया था, तब वे शासकीय सेवा में नहीं थी। चयन होने के उपरान्त उनके द्वारा कार्यालय प्रमुख को सूचना देने के पश्चात कर्तव्यस्थल से प्रस्थन किया। डॉ0 सलूजा ने समक्ष में उपस्थि होकर बताया की वे डिप्लोमा इन एनेस्थिसिया पाठ्यक्रम में वे अरविन्दो मेडिकल कॉलेज इन्दौर में अध्ययनरत है, दिनांक 01.06.2018 तक यह पाठ्यक्रम पूर्ण हो जावेगा तत्पश्चात उन्हें शासकीय सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान कर उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनातमक कार्यवाही के प्रकरण को समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया।

संचालनालय के आदेश कमांक / 01–जी / विज्ञ. / सेल–05 / 930, दिनांक 13.0618 द्वारा डॉ0 शीनू सलूजा, चिकित्सा अधिकारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मझोली जिला जबलपुर में कर्तव्य पर उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की गई एवं अनाधिकृत अनुपस्थित का निराकरण विभाग स्तर पर चल रही कार्यवाही अनुसार पृथक से किये जाने हेतु आदेशित किया गया।

डॉ0 शीनू सलूजा द्वारा आरोप–पत्र का प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर एवं समक्ष में प्रस्तुत किये गये पक्ष से स्पष्ट है कि डॉ0 शीनू सलूजा बिना सक्षम स्वीकृति के दिनाक 25.05.16 से अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रही है।

अतः डॉ0 शीनू सलूजा की दिनाक 25.05.16 से कार्यभार ग्रहण करने तक की अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि को अकार्य दिवस (**dies-non**) मान्य किया जाता है।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

28/8/18
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क.क्रमांक / 4 / शिका. / अना.अनु. / एफ.19–46 / शा.मेडि–1 / 176 – भोपाल दिनांक 28 / 08 / 2018

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,भोपाल।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर आपको निर्देशित किया जाता है कि संचालनालय के आदेश कमांक / विज्ञ. / सेल–5 / 930,दिनांक 13.06.18 के पालन में डॉ0 शीनू सलूजा द्वारा कार्य पर उपस्थित होने की वस्तुस्थिति तत्काल उपलब्ध करावें।
4. उप. संचालक,(विज्ञप्त / गोपनीय / लीगल)स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीयं कार्यलय।
5. कलेक्टर, जिला जबलपुर।

–2–

6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर आपको निर्देशित किया जाता है कि संचालनालय के आदेश कमांक/विज्ञ./सेल–5/930,दिनांक 13.06.18 के पालन में डॉ0 शीनू सलूजा द्वारा कार्य पर उपस्थित होने की वस्तुस्थिति तत्काल उपलब्ध करावें।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जबलपुर।
8. अधीक्षक,रानी दुर्गावति चिकित्सालय, जबलपुर।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझोली,जिला जबलपुर,आपको निर्देशित किया जाता है कि संचालनालय के आदेश कमांक/विज्ञ./सेल–5/930, दिनांक 13.06.18 के पालन में डॉ0 शीनू सलूजा द्वारा कार्य पर उपस्थित होने की वस्तुस्थिति तत्काल उपलब्ध करावें।
9. डॉ0 शीनू सलूजा, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझोली, जिला जबलपुर।
10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि आदेश की प्रति विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करें।
11. स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

28/8/18
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनॉक 17/05/2018

:: आदेश ::

क्रमांक– एफ 19–20/2018/17 /मेडि–1:: डॉ.मिथलेश मेहर, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय,राजगढ़ का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2013 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया था । चयन उपरांत उन्होंने जिला राजगढ में दिनॉक 13.09.2013 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 26.05.2014 से बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। यह सूचना सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,राजगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक 557 दिनॉक 07.02.2018 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॉ.मिथलेश मेहर, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय,राजगढ़ के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनॉक 13.02.2018. को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ.मिथलेश मेहर, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय,राजगढ़ ने अपना अभ्यावेदन दिनॉक 23.03.2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उन्होंने अपना त्यागपत्र दिनांक 15.03.2016 को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,राजगढ को प्रस्तुत किया था एवं वे अपने कर्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए थे। अतः उनका त्यागपत्र दिनांक 15.03.2016 से स्वीकृत कर लिया जावे ।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद व्दारा डॉ.मिथलेश मेहर, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय,राजगढ़ का दिनांक 15.03.2016 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DE Order/RCS/2018/

पृ.क्रमांकः एफ 19–20/2018/17 /मेडि–1 भोपाल,दिनॉक 17/05 /2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश का विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करायें।
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं भोपाल संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ, म.प्र.
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला राजगढ, म.प्र.
10. डॉ.मिथलेश मेहर,चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय,राजगढ़ की ओर पालनार्थ ।

11–स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

DE Order/RCS/2018/

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनॉक/7/4/2018

:: आदेश ::

क्रमांक– 1967 /2018/17 /मेडि–1:: डॉ.राजेश गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुकुन्दपुर जिला सतना का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2005 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया था । चयन उपरांत उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुकुन्दपुर जिला सतना में दिनॉक 31.12.05 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 14.11.2011 से ही बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 6589 दिनॉक 16/08/2017 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॉ.राजेश गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुकुन्दपुर जिला सतना के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनॉक 23.01.2018 को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ.राजेश गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुकुन्दपुर जिला सतना ने अपना अभ्यावेदन दिनॉक 22/2/2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि वे व्यक्तिगत कारणों से अपनी सेवाऐं देने में असमर्थ हैं। अतः उनका त्यागपत्र दिनॉक 14.11.2011 से ही स्वीकृत किया जाए। उक्त आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर को प्रेषित किया था एवं वे अपने कर्त्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए हैं।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद व्दारा डॉ.राजेश गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुकुन्दपुर जिला सतना का दिनांक 14.11.2011 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.कमांक 19-67/2018/17/मेडि–एक/ भोपाल,दिनॉक 17/04 /2018

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं रीवा संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना,.म.प्र.
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सतना म.प्र.

10: डॉ.राजेश गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुकुन्दपुर जिला सतना की ओर पालनार्थ ।

11–स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनॉक 17/4/2018

:: आदेश ::

क्रमांक–एफ 19–28 / 2018 /17/मेडि–1/डॉ.अंकित अलावा चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय खण्डवा के विरूद्ध शासन के पत्र क्रमांक 241/2017/3236 भोपाल, दिनॉक 23/1/2018 द्वारा कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंर्तगत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जॉच प्रस्तावित की गई थी। जारी किए गए आरोप पत्र के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन दिनॉक 06.02.2018 में अनुपस्थिति का कारण पारिवारिक दर्शाते हुए एवं एम.एस. अस्थिरोग में स्नातकोत्तर अध्ययन पूर्ण करने के उपरान्त पदस्थापना में सशोधन करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति चाही गई है। साररूप में डा. अंकित अलावा चिकित्सा अधिकारी,जिला चिकित्सालय खण्डवा मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) के उप नियम (1) के खण्ड.–(i) (ii) एवं नियम 7 के उल्लंघन के दोषी है ।

2. डॉ.अंकित अलावा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय खण्डवा, को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के दिनांक 29.04.2017 से कार्यभार ग्रहण करने तक की अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का दोषी पाते हुए अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को अकार्य दिवस (Dies Non) मान्य करते हुए जिला चिकित्सालय उज्जैन में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.क्रमांक –एफ 19–28 / 2018 / 17 / मेडि–एक / भोपाल, दिनॉक 17 / 04 / 2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव / सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यंप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें ।
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं इन्दौर / उज्जैन संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खण्डवा / उज्जैन, म.प्र.
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला उज्जैन / खण्डवा की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश डा. अंकीत अलावा ,चिकित्सा अधिकारी को तामील करवाकर तामीली प्रतिवेदन एवं उपरोक्त आदेश की प्रविष्ठि सेवापुस्तिका में लाल स्याही से अंकित कर उसकी सत्यापित छायाप्रति शीघ्र भिजवायें ।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला खण्डवा / उज्जैन म.प्र.
11. डा. अंकित अलावा चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय खण्डवा की ओर पालनार्थ.
12. स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनॉक 17/4/2018

:: आदेश ::

क्रमांक– 19-69 /2018/17 /मेडि–1:: डॉ.अमित मालवीय, चिकित्सा अधिकारी जिला
चिकित्सालय जिला सीहोर का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2014में चिकित्सा
अधिकारी के पद पर चयन किया गया था । चयन उपरांत उन्होंने जिला चिकित्सालय
जिला सीहोर में दिनॉक 22/09/2014 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक
05/10/2014 से ही बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित
हो गए। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर द्वारा अपने पत्र क्रमांक
7626 दिनॉक 05/12/2014 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॉ डॉ.अमित मालवीय, चिकित्सा अधिकारी जिला
चिकित्सालय जिला सीहोर के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं
अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनॉक 23/01/2018 को आरोप पत्र
जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ.अमित मालवीय, चिकित्सा अधिकारी जिला
चिकित्सालय जिला सीहोर ने अपना अभ्यावेदन दिनॉक 22/02/2018 को प्रस्तुत करते
हुए अनुरोध किया है कि वे व्यक्तिगत कारणों से अपनी सेवाऐं देने में असमर्थ हैं। अतः
उनका त्यागपत्र दिनॉक 22/02/2018 से ही स्वीकृत किया जाए। एवं वे अपने कर्त्तव्य
स्थल से विमुक्त हो गए हैं।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते
हुए राज्य शासन एतद व्दारा डॉ.अमित मालवीय, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय
जिला सीहोर का दिनांक 22.02.2018 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.क्रमांक 19-69 /2018/17/मेडि–एक/ भोपाल,दिनॉक 17/04 /2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं भोपाल संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर,,म.प्र.
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सीहोर, म.प्र.

10–डॉ.अमित मालवीय, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय, सीहोर की ओर पालनार्थ ।

11–स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनॉक 17/4/2018

:: आदेश ::

कमांक— 1970/2018/17 /मेडि—1:: डॅा.अमित धनौतिया, चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल गरौठ जिला मंदसोर का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2011में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया था । चयन उपरांत उन्होंने सिविल अस्पताल गरोठ जिला मंदसौर में दिनॉक 24/05/2011 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 24/05/2011 से ही बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने पत्र कमांक 7883 दिनॉक 14/08/2017 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॅा.अमित धनौतिया, चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनॅाक 23/01/2018 को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॅा.अमित धनौतिया, चिकित्सा अधिकारी ने अपना अभ्यावेदन दिनॅाक 08/03/2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि वे व्यक्तिगत कारणों से अपनी सेवाऐं देने में असमर्थ हैं। अतः उनका त्यागपत्र दिनॅाक 24/05/2011 से ही स्वीकृत किया जाए। उक्त आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर को प्रेषित किया था एवं वे अपने कर्त्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए हैं।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद व्दारा डा. अमित धनौतिया चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल गरोठ जिला मंदसौर का दिनांक 24.05.2011 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनाँक 17/4/2018

:: आदेश ::

कमांक– 19-31 /2018/17 /मेडि–1:: डॉ. अतिशय जैन, चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुरपा जिला नरसिंहपुर का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2011 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया था । चयन उपरांत उन्होंने जिला नरसिंहपुर में दिनॅाक 27.04.2011 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॅाक 27.07.2011 से ही बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने पत्र कमांक 11929 दिनॅाक 27/12/2017 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॉ. अतिशय जैन, चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,खुरपा जिला नरसिंहपुर के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनॅाक 01.03.2018. को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ. अतिशय जैन,चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,खुरपा जिला नरसिंहपुर ने अपना अभ्यावेदन दिनॅाक 10.03.2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उनका चयन स्नातकोत्तर पाठ्यकम के लिए हो गया है एवं वे अपनी सेवाएँ निरन्तर रखने में असमर्थ हैं। अतः उनका त्यागपत्र दिनॅाक 22.12.2017 से ही स्वीकृत किया जाए। उक्त आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नरसिंहपुर को प्रेषित किया था एवं वे अपने कर्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए हैं।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद व्दारा डॉ. अतिशय जैन, चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,खुरपा जिला नरसिंहपुर का दिनांक 22.12.02017 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.क्रमांक 1931 /2018/17/मेडि–एक/ भोपाल,दिनॉक/7/04 /2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं जबलपुर संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नरसिंहपुर,म.प्र.
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला नरसिंहपुर, म.प्र.
10. डॉ. अतिशय जैन, चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,खुरपा जिला नरसिंहपुर की ओर पालनार्थ ।

11–स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

::आदेश ::

भोपाल, दिनांक 17/04/2018

कमांक– 1971 / 2018/17/ मेडि–1 डॉ.संतोष कामलिया चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गॉधीसागर जिला मंदसौर का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2010 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया। चयन उपरांत उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गॉधीसागर जिला मंदसौर में दिनॉक 21/04/2010 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 20/04/2011 से बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर द्वारा अपने पत्र कमांक 7883, दिनॉक 14/08/2017 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने कें उपरांत डॉ.संतोष कामलिया के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरंण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनॉक 23/01/2018 को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ.संतोष कामलिया ने अपना अभ्यावेदन दिनॉक 08/02/2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उन्होंने अपना त्यागपत्र दिनॉक 20/04/2011 से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर को प्रेषित किया था एवं वें अपने कर्त्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए थे। अतः उनका त्यागपत्र दिनॉक 20/04/2011 से स्वीकृत कर लिया जाए।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद व्दारा डा. संतोष कामलिया चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गांधीसागर जिला मंदसौर का दिनांक 20.04.11 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ0 कमाक | 9-71 / 2018 / सत्रह / मेडि–1 भोपाल दिनांक 17 / 04 / 2018

प्रतिलिपिः–

1– निज सचिव,माननीय मंत्री जी / राज्य मंत्री,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.

2– निज सचिव,प्रमुख सचिव / सचिव,मध्य प्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग .

3– महालेखाकार,मध्य प्रदेश,ग्वालियर ।

4– आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल

5– संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल

6– अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करावे।

7– क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं उज्जैन संभाग, मध्यप्रदेश

8– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला मंदसौर की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को डॉ.संतोष कामलिया, चिकित्सा अधिकारी,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,गांधीसागर, जिला मंदसौर को तामिल करवाकर तामिली प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

9– जिला कोषालय अधिकारी,जिला मंदसौर,म.प्र.।

10- डॉ संतोष कामलिया,चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,गांधीसागर जिला मंदसौर की ओर पालनार्थ।

11– स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनॉक 17/4/2018

:: आदेश ::

क्रमांक– 1911/2018/17 /मेडि–1:: डॉ. रश्मि चौहान, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल,महू जिला इन्दौर का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2000 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया था । चयन उपरांत उन्होंने सिविल अस्पताल,महू जिला इन्दौर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनॉक 15.02.2001 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर वर्ष 2009 में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 14.10.2015 से ही बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गई। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 24745 दिनॉक 22/8/2017 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॉ. रश्मि चौहान, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल,महू जिला इन्दौर के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनॉक 07.02.2018. को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ. रश्मि चौहान, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल,महू जिला इन्दौर ने अपना अभ्यावेदन दिनॉक 12.03.2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि वे अपनी सेवाएँ निरन्तर रखने में असमर्थ हैं। अतः उनका त्यागपत्र दिनॉक 14.10.2015 से ही स्वीकृत किया जाए। उक्त आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर को प्रेषित किया था एवं वे अपने कर्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए हैं।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद व्दारा डॉ. रश्मि चौहान, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल,महू जिला इन्दौर का दिनांक 14.10.2015 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.क्रमांक 1911 /2018/17/मेडि–एक/ भोपाल,दिनॉक 7/04 /2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं इन्दौर संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इन्दौर,म.प्र.
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला इन्दौर, म.प्र.
10. डॉ. रश्मि चौहान, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल,महू जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।

11–स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनॉक 17/4/2018

:: आदेश ::

कमांक– 1968/2018/17 /मेडि–1:: डॉ. धर्मेन्द्र धनवारे, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से बर्ष 2013 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया था । चयन उपरांत उन्होंने जिला चिकित्सालय खण्डवा में दिनॉक 04.09.2013 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 29.04.2017 से ही बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने पत्र कमांक 7367 दिनॉक 16/08/2017 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॉ. धर्मेन्द्र धनवारे, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनॉक 23.01.2018. को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ. धर्मेन्द्र धनवारे, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा ने अपना अभ्यावेदन दिनॉक 13.02.2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उनका चयन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए हो गया है एवं वे अपनी सेवाएँ निरन्तर रखने में असमर्थ हैं। अतः उनका त्यागपत्र दिनॉक 29.04.2017 से ही स्वीकृत किया जाए। उक्त आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खण्डवा को प्रेषित किया था एवं वे अपने कर्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए हैं।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद व्दारा डॉ.धर्मेन्द्र धनवारे चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा का दिनांक 29.04.2017 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.क्रमांक 19-68 /2018/17/मेडि–एक/ भोपाल,दिनॉक/7/04 /2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं इन्दौर संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक खण्डवा,म.प्र.
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला खण्डवा, म.प्र.

10: डॉ.धर्मेन्द्र धनवारे, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा की ओर पालनार्थ ।

11–स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनॉक 23/4/2018

:: आदेश ::

क्रमांक–एफ 19–56/2018/17/मेडि–1/डॉ.प्रमोद कुशवाह चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सीधी के विरूद्ध शासन के पत्र क्रमांक मेडि /149/2017/3191 भोपाल, दिनॉक 23/01/2018 द्वारा कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंर्तगत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जॅाच प्रस्तावित की गई थी। जारी किए गए आरोप पत्र के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन दिनॉक 06.02.2018 में अनुपस्थिति का कारण स्नातकोत्तर (माइक्रोबायोलॉजी) में चयन उपरान्त मई 2015 से अध्ययन के लिये ग्वालियर जाना बतायाहै । इनका नियमित पाठ्यक्रम जून 2018 में पूर्ण हो रहा है जिसकी लगभग 3 माह की अवधि शेष है । साररूप में डॉ.प्रमोद कुशवाह चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सीधी मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) के उप नियम (1) के खण्ड.–(i) (ii) एवं नियम 7 के उल्लंघन के दोषी है ।

2. डॉ.प्रमोद कुशवाह चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सीधी को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के दिनांक मई 2015 से कार्यभार ग्रहण करने तक की अवधि को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का दोषी पाते हुए, अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि तक अकार्य दिवस (Dies Non) मान्य करते हुए जिला चिकित्सालय सीधी में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.क्रमांक –एफ 19–56/2018/17/मेडि–एक भोपाल,दिनॉक 23 /04/2018

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल कीओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें ।
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं रीवा संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी,म.प्र.
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सीधी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश डॉ.प्रमोद कुशवाह चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सीधी को तामील करवाकर तामीली प्रतिवेदन एवं उपरोक्त आदेश की प्रविष्ठि सेवापुस्तिका में लाल स्याही से अंकित कर उसकी सत्यापित छायाप्रति एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना शीघ्र भिजवायें ।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सीधी म.प्र.
11. डॉ.प्रमोद कुशवाह चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सीधी की ओर पालनार्थ.
12. .स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनाँक 23 /4/2018

:: आदेश ::

क्रमांक–एफ 19-73 / 2018 /17/मेडि–1/डॉ.अभिषेक वरूण चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,पालसोडा जिला नीमच के विरूद्ध शासन के पत्र क्रमांक 203/2017/3241 भोपाल, दिनाँक 23/1/2018 द्वारा कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंर्तगत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जॉच प्रस्तावित की गई थी। जारी किए गए आरोप पत्र के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन दिनॉक 20.02.2018 में अनुपस्थिति का कारण फारेंसिक मेडिसीन एवं टॉक्सीकालॉजी में स्नातकोत्तर अध्ययन पूर्ण करने के उपरान्त शैक्षणिक योग्यता एवं विभागीय हित को दृष्टिगत रखते हुए पदस्थापना में सशोधन करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाना है। साररूप में डा. अंकित अलावा चिकित्सा अधिकारी,जिला चिकित्सालय खण्डवा मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) के उप नियम (1) के खण्ड.–(i) (ii) एवं नियम 7 के उल्लंघन के दोषी है ।

2. डॉ.अभिषेक वरूण चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,पालसोडा जिला नीमच को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के दिनांक 30.04.2015 से कार्यभार ग्रहण करने तक की अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का दोषी पाते हुए अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को अकार्य दिवस (Dies Non) मान्य करते हुए जिला चिकित्सालय नीमच में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.क्रमांक –एफ 1973/2018/17/मेडि–एक भोपाल,दिनॉक 23/04/2018
प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल कीओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें ।
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं उज्जैन संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नीमच,म.प्र.
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला नीमच की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश डॉ.अभिषेक वरूण चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,पालसोडा जिला नीमच को तामील करवाकर तामीली प्रतिवेदन एवं उपरोक्त आदेश की प्रविष्ठि सेबापुस्तिका में लाल स्याही से अंकित कर उसकी सत्यापित छायाप्रति शीघ्र भिजवायें ।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला नीमच म.प्र.
11. डॉ.अभिषेक वरूण चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,पालसोडा जिला नीमच की ओर पालनार्थ.
12. .स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

f 1959 **:: आदेश ::** दि0 10/4/2018

क्रमांक /~~3197~~/2018/17/मेडि–1:: डॉ.विनोद पिल्लई, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी जिला सिवनी का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2001 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया। चयन उपरांत उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी जिला सिवनी में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 26/02/2001से बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 6112, दिनॉक 21/08/2017 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॉ.विनोद पिल्लई के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनॉक 23/01/2018 को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ.पिल्लई ने अपना अभ्यावेदन दिनॉक 01/03/2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उन्होंने अपना त्यागपत्र दिनॉक 28/02/2017 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी को प्रेषित किया था एवं वे अपने कर्त्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए थे। अतः उनका त्यागपत्र स्वीकृत कर लिया जाए।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. विनोद पिल्लई चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी जिला सिवनी का दिनॉक 26/02/2001 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक F19-59 / ~~3197~~ / 2018 / 17 / मेडि–एक /   भोपाल,दिनॉक 10/4/2018

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव / सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं जबलपुर संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी, म.प्र.
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सिवनी, म.प्र.
10. डॉ. विनोद पिल्लई, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी जिला सिवनी की ओर पालनार्थ ।
11. स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक– 1955/2018/17/मेडि–एक/ भोपाल, दिनॉक 5/4/2018

:: आदेश ::

डॉ गौरव उपाध्याय चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय खण्डवा को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खण्डवा के पत्र कमांक 7367, दिनॉक 16/08/2017 से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनॉक 28/04/2017 से 15/11/2017 तक बिना सक्षम प्राधिकारी के कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंर्तगत दिनॉक 23/01/2018 को आरोप पत्र जारी कर विभागीय जॉच प्रस्तावित की गई थी। जारी किए गए आरोप पत्र के संबंध में प्रतिवाद उत्तर दिनॉक 05/02/2018 को प्रस्तुत किया जिसमें डॉ.गौरव उपाध्याय ने अपने समर्थन में निवेदन किया कि वे स्वंय का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण कर्त्तव्य स्थल पर आरोपित अवधि में उपस्थित नहीं थे। डॉ. उपाध्याय ने सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृति एवं मुख्यालय छोडने की अनुमति प्राप्त नहीं की। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक खण्डवा ने प्रतिवेदित किया है कि डॉ. उपाध्याय दिनॉक 28/04/2017 से बिना अवकाश स्वीकृति के कर्त्तव्य स्थल से अनुपस्थित थे एवं दिनॉक 16/11/2017 को जिला चिकित्सालय खण्डवा में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की है एवं वे नियमित रूप से कार्यरत हैं। साररूप में डॉ.गौरव उपाध्याय चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) के उप नियम (1) के खण्ड (i), (ii) एंव नियम 7 के उल्लंघन के दोषी हैं।

अतः मैं कवीन्द्र कियावत सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ.गौरव उपाध्याय जिला चिकित्सालय खण्डवा को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के दिनॉक 28/04/2017 से 15/11/2017 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का दोषी पाते हुए अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को अकार्य दिवस (Dies Non) मान्य किया जाता है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.क्रमांक 19-55/2018 /17/मेडि–एक/ 4/2018 भोपाल,दिनांक 5/4/18

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
3. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं इंदौर संभाग, मध्यप्रदेश
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक खण्डवा मध्यप्रदेश
6. डॉ. गौरव उपाध्याय चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा म.प्र.
7. स्टाक फाईल ।

सचिव

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

F-19-08/2018
क्रमांक/एफ 583/3243/2017/17/मेडि-1/ भोपाल, दिनांक 01 .03.2018

आदेश

डॉ. अर्चना इवने, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, होशंगाबाद के अनाधिकृत अनुपस्थित होने के संबंध में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला होशंगाबाद के पत्र क्रमांक 3612 दिनांक 05.08.2017 से प्राप्त सूचना के आधार पर डॉ. अर्चना इवने, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, होशंगाबाद को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आधार पर विभाग के पत्र क्रमांक/मेडि-122/2017/3243 दिनांक 23.01.2018 द्वारा आरोप-पत्रादि जारी किये गये थे। आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर दिनांक 07.02.2018 को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने स्वंय की प्रसूति एवं बालचर्या अवकाश के कारण दिनांक 15.03.2016 से 05.09.2017 तक कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने के संबंध में अवगत कराया है।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला होशंगाबाद ने अपने पत्र क्रमांक 1160 दिनांक 09.02.2018 द्वारा अवगत कराया है कि क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा डॉ. अर्चना इवने, चिकित्सा अधिकारी का दिनांक 15.03.2016 से 05.09.2017 तक का 540 दिवस का बालचर्या अवकाश स्वीकृत किया गया है। क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल ने बालचर्या अवकाश स्वीकृति उपरांत डॉ. अर्चना इवने, चिकित्सा अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की है, जिसके आधार पर डॉ. अर्चना इवने ने दिनांक 06.09.2016 को जिला चिकित्सालय, होशंगाबाद में कार्यभार ग्रहण कर लिया है तब से आज दिनांक तक वह नियमित रूप से अपना कार्य संपादित कर रही है।

अतः डॉ. अर्चना इवने, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, होशंगाबाद से प्राप्त प्रतिवाद उत्तर एवं सिचिल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला होशंगाबाद के पत्र क्रमांक 1280 दिनांक 09.02.2018 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर डॉ. अर्चना इवने, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, होशंगाबाद को भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ती न करने की चेतावनी देते हुये विचारोपरांत प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

C:\Users\User\Desktop\Bagde-Absent-Data\Dandadesh.doc

F-19-08/2018

पृ. क्रमांक /(एफ)...524..../3243/2017/17/मेडि–1/ भोपाल, दिनांक 01 .03.2018

<u>प्रतिलिपि :–</u> सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल (म.प्र.)।
03. उप संचालक (विज्ञप्त), स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)।
05. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला होशंगाबाद (म.प्र.)।
06. डॉ. अर्चना इवने, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला होशंगाबाद की ओर पालनार्थ।
07. स्टॉक फाईल।

सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

C:\Users\User\Desktop\Bagde-Absent-Data\Dandadesh.doc

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / एफ–.549...... / 3233 / 2017 / 17 / मेडि–1, भोपाल, दिनांक 22.02.2018

आदेश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना से प्राप्त सूचना के आधार पर डॉ. शरद चंद्र टांटिया के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति को आधार बनाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान डॉ. शरद चन्द्र टांटिया को दिनांक 23.01.2018 को आरोप पत्र जारी किये गये। जारी आरोप पत्र के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना द्वारा पत्र क्रमांक 1804, दिनांक 27.01.2018 द्वारा यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि डॉ. शरद चन्द्र टांटिया दिनांक 30.06.2016 से अनाधिकृत अनुपस्थित नहीं है एवं डॉ. टांटिया दिनांक 30.06.2016 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में डॉ. शरद चंद्र टांटिया के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने का औचित्य प्रतित नहीं होता है।

अतः डॉ. शरद चन्द्र टांटिया के विरूद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के इस प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक / एफ–..550...... / 3233 / 2017 / 17 / मेडि–1, भोपाल, दिनांक 22.02.2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर (म.प्र.)।
03. उप संचालक (विज्ञप्त), स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला गुना (म.प्र.)।
05. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला गुना (म.प्र.)।
06. डॉ. शरद चन्द्र टांटिया, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना (म.प्र.)।
07. स्टॉक फाईल।

सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

C:\Users\User\Desktop\Bagde-Absent-Data\Dandadesh.doc

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक F19-03/2018/सत्रह/मेडि-1/ भोपाल, दिनांक 6 फरवरी, 2018

// आदेश //

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बड़वानी की सूचना के आधार पर डॉ. गौरव शैलगाँवकर के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति को आधार बनाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान डॉ. गौरव शैलगाँवकर को दिनांक 23 जनवरी 2018 को आरोप-पत्र जारी किये गये। जारी आरोप-पत्र के संबंध में डॉ. गौरव शैलगाँवकर ने समक्ष में उपस्थित होकर दिनांक 05 फरवरी, 2018 को प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत किया है। इस प्रतिवाद उत्तर के अध्ययन के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया है कि डॉ. गौरव शैलगाँवकर की अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा डाइसनॉन घोषित कर दिया गया है तथा उन्हें जिला चिकित्सालय, देवास में पदस्थ कर दिया गया है, जहाँ उन्होंने दिनांक 29.12.2017 को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

अत: डॉ. गौरव शैलगाँवकर के विरूद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के इस प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

क्रमांक F19-03/2018 ~~/2018/~~ सत्रह/मेडि-1/ भोपाल, दिनांक 6 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि -

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. संयुक्त संचालक, इन्दौर एवं उज्जैन।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन, बड़वानी एवं देवास।
4. डॉ. गौरव शैलगाँवकर, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, देवास

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक /548(एफ)/3263 / 2017 / 17 / मेडि–1 /   भोपाल, दिनांक 20 .02.2018

आदेश

डॉ. नीता बंसेरिया, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, मुरैना के अनाधिकृत अनुपस्थित होने के संबंध में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 8792 दिनांक 11.08.2017 से प्राप्त सूचना के आधार पर डॉ. नीता बंसेरिया, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, मुरैना को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आधार पर विभाग के पत्र क्रमांक / मेडि–227 / 2017 / 3263 दिनांक 23.01.2018 द्वारा आरोप–पत्रादि जारी किये गये थे। आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर दिनांक 07.02.2018 को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने स्वंय की प्रसूति एवं स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने के संबंध में अवगत कराया है एवं कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति चाही है।

डॉ. नीता बंसेरिया के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर जिला चिकित्सालय, मुरैना में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विभागीय जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने के पश्चात समुचित निर्णय यथा समय लिया जावेगा।

स/(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक /549(एफ)/3263 / 2017 / 17 / मेडि–1 /   भोपाल, दिनांक 20 .02.2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर (म.प्र.)।
03. उप संचालक (विज्ञप्त), स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मुरैना (म.प्र.)।
05. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला मुरैना की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. नीता बंसेरिया, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, मुरैना के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना से अवगत करावे। साथ ही संलग्न अभ्यावेदन पर अपने अभिमत सहित प्रस्ताव आयुक्त, स्वास्थ्य के माध्यम से प्रेषित करें।
06. डॉ. नीता बंसेरिया, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला मुरैना की ओर पालनार्थ।
07. स्टॉक फाईल।

स/सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ–551/3192/2017/17/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 22.02.2018

आदेश

डॉ. इसरार उद्दीन अब्बासी, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, रायसेन के अनाधिकृत अनुपस्थित होने के संबंध में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 6133–36, दिनांक 23.08.2017 से प्राप्त सूचना के आधार पर डॉ. इसरार उद्दीन अब्बासी, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, रायसेन को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आधार पर विभाग के पत्र क्रमांक/मेडि–132/2017/3192 दिनांक 23.01.2018 द्वारा आरोप–पत्रादि जारी किये गये थे। डॉ. इसरार उद्दीन अब्बासी, चिकित्सा अधिकारी ने स्वंय उपस्थित होकर अवगत कराया की माताजी की अस्वस्थता के कारण वे कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित थे एवं उन्होंने पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति चाही है।

डॉ. इसरार उद्दीन अब्बासी, चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर जिला चिकित्सालय, रायसेन में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विभागीय जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने के पश्चात समुचित निर्णय यथा समय लिया जावेगा।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ–552/3192/2017/17/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 22.02.2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल (म.प्र.)।
03. उप संचालक (विज्ञप्त), स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायसेन (म.प्र.)।
05. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला रायसेन की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. इसरार उद्दीन अब्बासी, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, रायसेन के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना से अवगत करावे।
06. डॉ. इसरार उद्दीन अब्बासी, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला रायसेन की ओर पालनार्थ।
07. स्टॉक फाईल।

सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/524/एफ-3253/2017/17/मेडि-1/ भोपाल, दिनांक 20.02.2018

आदेश

डॉ. रश्मि उपाध्याय, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, भिण्ड के अनाधिकृत अनुपस्थित होने के संबंध में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक 3842-47 दिनांक 04.08.2017 से प्राप्त सूचना के आधार पर डॉ. रश्मि उपाध्याय, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, भिण्ड को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आधार पर विभाग के पत्र क्रमांक/मेडि-229/2017/3253 दिनांक 23.01.2018 द्वारा आरोप-पत्रादि जारी किये गये थे। आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर दिनांक 20.02.2018 को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने स्वंय की प्रसूति एवं स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने के संबंध में अवगत कराया है एवं कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति चाही है।

डॉ. रश्मि उपाध्याय के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर जिला चिकित्सालय, भिण्ड में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विभागीय जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने के पश्चात समुचित निर्णय यथा समय लिया जावेगा।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/525/एफ-3253/2017/17/मेडि-1/ भोपाल, दिनांक 20.02.2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर (म.प्र.)।
03. उप संचालक (विज्ञप्त), स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड (म.प्र.)।
05. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला भिण्ड की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. रश्मि उपाध्याय, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, भिण्ड के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना से अवगत करावे। साथ ही संलग्न अभ्यावेदन पर अपने अभिमत सहित प्रस्ताव आयुक्त, स्वास्थ्य के माध्यम से प्रेषित करें।
06. डॉ. रश्मि उपाध्याय, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला भिण्ड की ओर पालनार्थ।
07. स्टॉक फाईल।

सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग